



## सार्वजनिक सूचना

छावनी क्षेत्र मथुरा के समस्त पट्टा धारको/ लीज धारको जिन्हे पूर्व मे भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय द्वारा कैंट कोड 1899, कैंट कोड 1912 व छावनी भूमि प्रसाशन नियमावली (सी.एल.ए.आर) 1925 व 1937 के प्रावधानो के अनुसार सम्पत्तियाँ लीज पर दी गयी है तथा जिनकी लीज अवधि समाप्त हो चुकी है या जिन सम्पत्तियो की लीज अवधि निकट भविष्य मे समाप्त होने वाली है के सम्बन्ध मे भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय ने नयी पॉलिसी ( Policy) अपने पत्र सं० 11013/2/2016/D(Lands) दिनांक 10.03.2017 के द्वारा तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है जिनके माध्यम से यह निर्णय लिया है कि ऐसे सभी लीज/ पट्टे जिनकी लीज अवधि समाप्त हो चुकी है या जिनकी लीज अवधि निकट भविष्य मे दिनांक 31.12.2018 से पहले समाप्त होने वाली हो, ऐसी सभी लीज/पट्टे की अवधि दिनांक 31.12.2018 तक सशर्त बढ़ा दी जायेगी। लीज/ पट्टे के नवीनकरण एवं इनसे सम्बन्धित समस्त जानकारियो का विवरण कार्यालय छावनी परिषद मथुरा के नोटिस बोर्ड पर किसी भी कार्य दिवस मे देखी जा सकती है तथा छावनी परिषद मथुरा की वेबसाइट [www.cbmathura.org](http://www.cbmathura.org) पर भी देखी जा सकती है।

पत्रावली सं० सी.बी.एम/पट्टा निरस्तीकरण/620/  
दिनांक 23 मार्च, 2017

मुख्य अधिशासी अधिकारी  
मथुरा छावनी  
( कौशल गौतम )

23/3/17